# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/52/2020

प्रवेश तिथि 21.10.2020

**अपीलार्थी**

श्री घम्मनराम,
निवासी–ग्राम–पाडली, पो. टहटडा, तहसील–रैणी,
जिला–अलवर (राज.)–301409

बनाम

**प्रत्यर्थी**

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
अधिकारी रैणी (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

## निर्णय

दिनांक: 10.11.2020

1. अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से श्री लोकेश मीना, क.स. उपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 15.09.2020 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ग्राम–पाडली, ग्राम पंचायत टहटडा, पं.स. रैणी (अलवर) अन्तर्गत जारी पट्टे, प्रश्नगत भूमि के संबंध में अतिक्रमण रिपोर्ट, अतिक्रमण की शिकायत, अतिक्रमण हटाने हेतु प्रशासन द्वारा जारी आदेश आदि कुल 06 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।
4. प्रकरण में उक्त वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः– जो इस न्यायालय को दिनांकः 20.10.2020 को प्राप्त हुआ, के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2020/670–71 दिनांकः 21.10.2020 के माध्यम से तलब कर दिनांकः 02.11.2020 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से श्री लोकेश मीना, कनिष्ठ सहायक द्वारा उपस्थित होकर पत्रांकः आरटीआई/अपील ज./2020/4433 दिनांकः 29.10.20 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस पेश किया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी की ओर से पेश जवाब नोटिस का परीक्षण किया। पत्रावली का परीक्षण करने पर जाहिर हुआ कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील जवाब के साथ संलग्न पत्र सं. सू.का.अधि./2020/4309 दिनांकः 14.10.2020 के माध्यम से अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 15.09.2020 के क्रम में इस न्यायालय को अपील प्रस्तुत किए जाने उपरान्त सूचित किया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों की मूल भावना, उद्देश्यों के विपरीत कृत्य का परिचायक है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

8. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांकः 20.10.2020 को प्राप्त हुई है और प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को जवाब पत्र सं. 4309 दिनांकः 14.10.2020 के माध्यम से (पूर्व की तिथि में) प्रेषित किया है, यह अधीनस्थ कर्मियों की घोर लापरवाही का प्रतीक है।

9. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को आवेदन दिनांकः 15.09.20 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. 4309 दिनांकः 14.10.2020 के माध्यम से प्रेषित जवाब में कथन प्रस्तुत किया गया कि यही सूचना, पूर्व में तहसीलदार रैणी से भी आवेदक द्वारा चाही गई है जिसकी सूचना तहसीलदार रैणी द्वारा पत्र सं. 1584 दिनांकः 23.09.20 के माध्यम से बिन्दुवार प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही ग्राम पंचायत टहटडा से संबंधित सूचना से ग्राम पंचायत टहटडा द्वारा पत्र दिनांकः 23.09.20 के माध्यम से फोटोप्रति शुल्क जमा राजकोष कराने हेतु अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है, अपीलार्थी को सूचित पत्र पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर भी अंकित हैं।

10. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 15.09.20 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. 4309 दिनांकः 14.10.2020 के माध्यम से सूचित किया गया है जिसकी विषयवस्तु ग्राम पंचायत टहटडा, तहसीलदार रैणी एवं आंशिक रूप से उपखण्ड कार्यालय, रैणी से संबंधित है अर्थात् एक से अधिक विभाग/कार्यालयों से संबंधित सूचना एक ही आवेदन प्रस्तुत कर चाही गई है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अनुरूप विधिक आवेदन नहीं है किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अनुसरण में उक्त प्रा0पत्र दिनांकः 15.09.20 को अंशतः संबंधित विभागों को अन्तरित नहीं किए जाने की विधिक त्रृटि की गई है।

11. अस्तु **प्रथम अपील आंशिक स्वीकार** की जाती है। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो भविष्य में जिस किसी कार्यालय/विभाग से सूचना संबंधित हो, का **स्पष्ट चयन कर पृथक–पृथक आवेदन संबंधित विभाग** को किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत टहटडा, पं.स. रैणी द्वारा प्रेषित सूचना पत्र दिनांकः 28.09.20 के क्रम में नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क ग्राम पंचायत में जमा राजकोष कराकर अपीलार्थी सूचना प्राप्त करे। प्रत्यर्थी पक्ष एवं तहसीलदार रैणी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 10 दिवस में उनके कार्यालय से संबंधित सूचना अधिनियम के प्रावधानों के तहत निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अविलम्ब उपलब्ध करावें। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों की कडाई से पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।

12. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ तहसीलदार रैणी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत टहटडा, प.स. रैणी को भी प्रेषित हो।

13. निर्णय घोषित ।

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)